

व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड, पूर्वी क्षेत्र

शिकायत सेल, बीओपीटी (ईआर), कोलकाता

ऐसे मुद्दे/शिकायतें जिन्हें निवारण के लिए नहीं लिया जाता है;

- विचाराधीन मामलों या किसी भी अदालत में / द्वारा दिए गए / विचाराधीन निर्णय से संबंधित कोई भी मामला।
- व्यक्तिगत और पारिवारिक विवाद।
- आरटीआई मायने रखता है।
- कुछ भी जो संगठन/तृतीय पक्ष एजेंसियों की अखंडता पर प्रभाव डालता है
- सुझाव।

सरकार में शिकायत निवारण तंत्र के खंड "7.4 नागरिक चार्टर" के अनुसार प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, सरकार द्वारा निर्धारित कार्यालय / संगठन। भारत सरकार, बीओपीटी (ईआर) का "नागरिक चार्टर" इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है। अपने स्वयं के कर्मचारियों के साथ-साथ आम जनता से संबंधित विभिन्न गतिविधियों/जिम्मेदारियों के निर्वहन/पूरा करने की समय-सीमा का स्पष्ट रूप से "नागरिक चार्टर" में उल्लेख किया गया है। प्राप्त शिकायतों के निवारण की समय-सीमा "नागरिक चार्टर" में उपलब्ध सूचना के अनुसार है।

शिकायत आवेदन/अभ्यावेदन के रूप में शिकायत अधिकारी, बीओपीटी (ईआर), कोलकाता को संबोधित एक मुहरबंद लिफाफे में "शिकायत" के साथ प्रस्तुत की जा सकती है।

शिकायत अधिकारी, बीओपीटी (ईआर), कोलकाता

शिकायत अधिकारी का नाम: **श्री कैलाश नाथ मिश्रा**

संपर्क पता: **बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (पूर्वी क्षेत्र) ब्लॉक-ईए, सेक्टर- 1, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता-700064।**

संपर्क विवरण: फोन - (033) 2337 0750/51; फैक्स - (033) 2321 6814